न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 03/2015

अपीलान्ट : –

1. पदमावती पुत्री स्व. श्री सूरजकरण जी, पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह जी, जाति राजपुरोहित, निवासी सरदारपुरा प्रथम बी रोड़ जिला जोधपुर ग्राम पंचायत कालीजाल जरिये सरपंच

ब ना म

रेस्पोडेन्ट्स : –

1. बलदेवसिंह पुत्र स्व. श्री सूरजकरण जी, जाति राजपुरोहित, निवासी उदयसिंह जी की हवेली, घोड़ो का चौक, जोधपुरके कायम मुकाम –
   1/1. राजेन्द्र पुत्र स्व. बलदेवसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी उदयसिंह जी की हवेली, घोड़ो का चौक, जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत जानादेसर जरिये सरपंच।

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 03.08.1977 स्वीकृत ग्राम पंचायत जानादेसर

उपस्थिति : –

1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता सुगनमल परिहार व सिद्धार्थ परिहार प्रेमकुमार देवड़ा।
2. रेस्पोडेन्ट 1/1 की ओर से ईश्वर सिंह।

दिनांक :– 26-8-2022

– :: निर्णय :: –

अपीलान्ट द्वारा एक नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 02 जो कि सरपंच ग्राम पंचायत जानादेसर द्वारा दिनांक 31.08.1970 को स्वीकार किया गया, की पेश कर कथन किया कि गांव हिंगोला तहसील लूणी की कृषि भूमि खसरा संख्या 333, 376, 377 कुल रकबा 62 बीघा 10 बिस्वा स्थित है जिसके खातेदार सूरजकरण पुत्र मोहब्बतसिंह हुआ करते थे। नामान्तरकरण में सुरजकरण का नाम सुजानसिंह गलती से लिखा हुआ है। सहखातेदार सुरजकरण का सन 1962–63 में फौत होने के समय उनके प्रथम श्रेणी के वारिसो में उनकी धर्मपत्नी, उनका पुत्र बिड़दसिंह व पुत्री पदमावती देवी वर्तमान अपीलार्थी थे। अपीलांट स्व. सुरजकरण की पुत्री है एवं प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा उसका विवादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक के साथ कब्जा काश्त है। स्व. सुरजकरण के विरासत का जो नामान्तरकरण स्वीकार किया गया उसमें केवल उसके पुत्र वर्तमान रेस्पोडेन्ट बलदेवसिंह का ही नाम दर्ज किया गया जबकी उसके तीनो प्रथम श्रेणी वारिसो को बराबर का अधिकार अर्जीत होने से नाम दर्ज किया जाना चाहिये था जो कि विरासत के कानून को पूर्ण रूप से नजर अंदाज करते हुए स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार करने से पूर्व मृतक खातेदार सुरजकरण के वारिसान के बारे में कोई विधिवत जांच नहीं की गई। सरपंच ने उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया उक्त नामान्तरकरण अपीलार्थी को बिना सूचित किये स्वीकार गया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को पहले नहीं थी, जिसकी जानकारी प्राप्त होते ही

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई अतः अपील अन्दर मियाद सुमार की जावें। उपरोक्त आधारो पर अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार किये जाने एवं नामान्तरकरण संख्या 97 को निरस्त किये जाने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अपीलार्थी का नाम भी बतौर सहखातेदार के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण को कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को नोटीस जारी किया गया। पत्रावली में प्रार्थना पत्र बाबत् नाम कायमी का पेश होने पर स्वीकार किया जाकर अपीलांट अधिवक्ता द्वारा संशोधित अपील शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट्स के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाकर तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स को भेजे गए रजिस्टर्ड डाक की रसीदे फार्म 3 के संलग्न पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई। रेस्पोडेन्ट 1/1 की ओर से अधिवक्ता ईश्वर सिंह द्वारा वकालतनामा एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 द्वारा अपना जवाब पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं होकर रेस्पोडेन्ट का ही है। स्व. सुरजकरण के देहान्त होने के बाद फौतेदी नामान्तरकरण संख्या 97 सरपंच ग्राम पंचायत जानादेसर द्वारा दिनांक 02/03.08.1977 को बलदेवसिंह के पक्ष में अपीलान्ट कि सहमति से स्वीकृत किया गया था। इस कारण अपीलान्ट उक्त नामान्तरकरण के संबंध में उजर व एतराज करने से एसटोप्ड है। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 28 साल बाद न्यायालय में पेश की है। उक्त अपील पुर्णतया म्याद बाहर है तथा म्याद बिन्दु पर अपील खारीज करने योग्य होने से अपील खारिज किया जावें। पत्रावली में तहसीलदार झंवर को मूल नामान्तरकरण भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गई जो कि असल ही प्राप्त बाद शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 97 दिनांक 03.08.1977 को निरस्त करने हेतु पेश की जिस रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कहा गया कि अपील पुर्णतया म्याद बाहर है तथा लिमिटेशन प्रार्थना पत्र पर ही सुनवाई कर म्याद बिन्दु पर अपील खारिज किया जावें। इस संबंध में धारा 5 म्याद अधिनियम का अवलोकन किया जिसके अनुसार **परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत यदि कोई वाद, अपील, या आवदेन में निर्धारित समय–सीमा के बाद दायर किया जाता है, भले ही वादी/अपीलांट द्वारा परिसीमा की दलीले दी हो या नही, तो वह खारिज किये जाने योग्य है।** अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील करीब 28 साल बाद न्यायालय में पेश की है जो कि जो कि प्रथम दृष्टया म्याद बाहर प्रतीत होती है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम पर दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं बहस पर मनन करने पर अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम में वर्णित कारणो के आधार पर म्याद को कण्डोन किये जाना किसी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलान्ट की अपील म्याद बाहर होने से न्यायहित में खारीज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट द्वारा पेश नामान्तकरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26-8-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी